न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 117/2018 दायर तारीख 25.10.2018

अनवान

01. देबीलाल पिता खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)। .....प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। ..... विपक्षी

उपस्थित :– श्री रामफूल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 06.02.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम फतहपुरा पटवार मण्डल उमाजी का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 38 आराजी संख्या 223 रकबा 1–01 बीघा, आराजी संख्या 224 रकबा 1–04 बीघा कुल किता 2 रकबा 2–05 बीघा एवं खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 रकबा 0–05 बीघा, खसरा संख्या 225/2 रकबा 1–12 बीघा, खसरा संख्या 226/2 रकबा 3–07 बीघा, खसरा संख्या 376/229 रकबा 1–06 बीघा, खसरा संख्या 394/226 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 5 रकबा 6–13 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की स्वयं के स्वामित्व की होकर सामलाती/एकल स्वामित्व की खातेदारी दर्ज जमाबन्दी हैं।

खाता संख्या 38 एवं 41 में खातेदार प्रार्थी **देबीलाल पिता काना** के नाम से दर्ज हैं।

प्रार्थी के समस्त दस्तावेज के आधार पर **प्रार्थी का मूल नाम देबीलाल पिता खाना** हैं और ग्राम फतहपुरा तहसील बिजौलियां का मूल निवासी है। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम **देबीलाल पिता खाना** दर्ज हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी ने साक्ष्य में घीसीबाई के बयान कराये है बयान में लिखाया की हमारे ग्राम फतहपुरा पटवार मण्डल उमाजी का खेड़ा में वादग्रस्त जमीने स्थित हैं। एक खाते में हमारे पिता का नाम "खाना" अंकित हैं। दूसरे खाते में हमारे पिता का नाम काना अंकित कर दिया हैं। फोटो आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में हमारे पिता का नाम खाना हैं। रेकॉर्ड में खाना दर्ज कराना फरमावे हम खाना के नाम से बोलते बतलाते हैं। सही नाम खाना हैं जमीन अपने बापदादा की हैं। गावं वाले, समाज में सभी जगह खानाजी के नाम से बोलते हैं। मै अपने पिता का नाम सही कराने कोर्ट में आई हूं। मोत्याबाई ने भी घीसीबाई के कथनों को ही दोहराया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाडा

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खातेदार का नाम देबीलाल पिता काना अंकित प्रस्तुत की हैं।

Scanned by CamScanner

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर संशोधन करने मे अपनी सहमती प्रदान की है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम का ग्राम फतहपुरा पटवार मण्डल उमाजी का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 38 आराजी संख्या 223 रकबा 1–01 बीघा, आराजी संख्या 224 रकबा 1–04 बीघा कुल किता 2 रकबा 2–05 बीघा एवं खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 रकबा 0–05 बीघा, खसरा संख्या 225/2 रकबा 1–12 बीघा, खसरा संख्या 226/2 रकबा 3–07 बीघा, खसरा संख्या 376/229 रकबा 1–06 बीघा, खसरा संख्या 394/226 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 5 रकबा 6–13 बीघा में खातेदार का नाम **देबीलाल पिता काना** की जगह **प्रार्थी का मूल नाम देबीलाल पिता खाना** शुद्धिकरण किया जाता है यानि खातेदार के पिता का नाम काना के बजाय खाना राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner